


तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मोहम्मद फैजान, 2 खैरादियों का बास, पाली बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली प्रथम सूचना अपील संख्या :-75/2024 जीसीएमएस नं. :- 2024/138 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.09.2024	<p style="text-align: center;">-: निर्णय :-</p> <ol style="list-style-type: none"><li>पत्रावली आज पेश हुई । अपीलार्थी स्वयं उपस्थित ।</li><li>अपीलार्थी ने अपने आवेदन-पत्र दिनांक 03.06.2024 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली से चाही गई थी परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है ।</li><li>अपीलार्थी के प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में वांछित सूचना के संबंध में अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली ने जरिये पत्रांक/रा.लो.सू.अ./164/2024/958 दिनांक 05.09.2024 इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी को वांछित सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 626 दिनांक 18.06.2024 द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे ।</li><li>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना/जवाब के विपरीत अपीलार्थी ने अपनी आपत्ति प्रस्तुत की।</li><li>अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र का नियमानुसार 15 दिवस में निस्तारण करे साथ ही अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है।</li><li>निर्णय आज दिनांक 09.09.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।</li></ol> <p style="text-align: center;"> (एल.एन. मंत्री) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली</p>	